सप्तदश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-23.03.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्रीमती शालिनी मिश्रा, स०वि०स० सुश्री श्रेयसी सिंह, स०वि०स० श्रीमती गायत्री देवी, स०वि०स० श्री सुधांशु शेखर, स०वि०स०	"बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय सहित सूबे के सभी विश्वविद्यालयों के अंगीभूत महाविद्यालयों में व्यावसायिक कोर्स यथा बी०सी०ए०, बी०बी०ए०, एम०सी०ए०, एम०बी०ए०, मास कम्युनिकेशन, योगा, लाइब्रेरी साइंस, बायो टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीयल माइक्रो बायोलॉजी आदि सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत लगभग 20 वर्षों से चल रहा है । ये कोर्स युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में मददगार हो रहे हैं । इन छात्रों की शुल्क की राशि से ही शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान किया जा रहा है । स्थायी मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण इन व्यावसायिक कोर्स में उत्तीर्ण होने वाले छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत लाभ नहीं मिल रहा है । अत: व्यावसायिक कोर्स का स्थायी संकाय बनाये जाने तथा छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत लाभ दिलाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	शिक्षा

2. डॉ० निक्की हेम्ब्रम, स०वि०स० श्रीमती भागीरथी देवी, स०वि०स० श्री कुमार शैलेन्द्र, स०वि०स० श्री हरीभूषण ठाकुर ''बचोल'', स०वि०स० श्री रामविलास कामत, स०वि०स०	"राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण, भूमि संरक्षण, जल पुनर्भरण, सिंचाई, हरियाली लाने, ग्रामीणों को आजीविका के साधन तथा उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से दक्षिण बिहार के 17 जिलों में जलछाजन योजना शुरू की गयी है, जबकि बांका जिला सहित 8 जिलों में जलछाजन योजना वर्षों से चल रही है । सरकार द्वारा समय-समय पर इस योजना के अंतर्गत लगभग 3001 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गयी है । विभाग द्वारा मॉनिटिरिंग के अभाव में बांका जिला के कटोरिया एवं बौंसी में जलछाजन योजना के तहत एस०डी०सी०, पी०सी०डी० जैसी योजनाओं में आवंटित राशि को पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अनियमितता बरतने यथा-राशि की बंदरबांट, योजना में शिथिलता, स्थल का सही निरीक्षण नहीं करना एवं ग्रामीणों को विभिन्न अनुदान दिलाने हेतु अवैध राशि की उगाही के कारण किसानों को उक्त योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, जिस कारण वर्षा का जल एकत्रित होने के बजाए 65 प्रतिशत बह जाता है । अत: उच्च स्तर पर योजना की मॉनिटिरिंग करने तथा योजना के कार्यान्वयन में शिथिलता एवं अनियमितता बरतने वाले दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	कृषि

शैलेन्द्र सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-14/2022- / वि०स०, पटना, दिनांक- मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21.3.2022

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-घ्या०प्र०-14/2022- 1440 / वि०स०, पटना, दिनांक- 21 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमश: माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21.3.2022

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-घ्या०प्र०-14/2022- 1440 / वि०स०, पटना, दिनांक- 21 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग तथा कृषि विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21.3.2022

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-घ्या०प्र०-14/2022- 1440 / वि०स०, पटना, दिनांक- 21 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं संयुक्त सचिव के आप्त सचिव को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सचिव एवं संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

21.3.2022

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

21.3.22